

(CAO, SAO, AO-I, AO-II)

रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एम) 04/0007/2003-05

REGD. NO. D.L. (N) 04/0007/2003-05



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 28] नई दिल्ली, दिनांक 22-दिसम्बर 28, 2013, शनिवार/पौष 1-पौष 7, 1935  
No. 28] NEW DELHI, DECEMBER 22-DECEMBER 28, 2013, SATURDAY/PAUSA 1-PAUSA 7, 1935

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पुस्तक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4  
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश  
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2013

का.नि.आ. 81.—प्रारंभिक: संविधान के अनुच्छेद 309 के परामर्श द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय (नौ सैन्य) एकीकृत मुख्यालय समूह 'ग' औद्योगिक पद, नौसैन्य आनुषंगिक प्रशासन (गोला बारूद कर्मशाखा) पद-भर्ती नियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संविधान नाम रक्षा मंत्रालय (नौ सैन्य) एकीकृत मुख्यालय समूह 'ग' औद्योगिक पद, नौसैन्य आनुषंगिक प्रशासन (गोला बारूद कर्मशाखा) संशोधन नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय (नौ सैन्य) एकीकृत मुख्यालय समूह 'ग' औद्योगिक पद, नौ सैन्य आनुषंगिक प्रशासन (गोला बारूद कर्मशाखा) पद-भर्ती नियम, 2012 की अनुसूची में क्रम संख्यांक 2 पर गोला-बारूद मैकेनिक पद को संघ 11 के वर्गीकृत प्रविष्टि में "बहुकार्य कार्यकारी/विश्व (गोला-बारूद) जिनको पेंड वेतन 1800 रु. श्रेणी में तीन वर्ष को नियमित सेवा है और स्टेप 7 के अधीन विहित अर्हताएं रखते हैं और विभागीय अर्हक परीक्षा पास है" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"बहु कार्य कमचारि/विश्व (गोला-बारूद) जिनको पेंड वेतन 1800 रु. श्रेणी में तीन वर्ष को नियमित सेवा है और विभागीय अर्हक परीक्षा पास है।"

[का. सं. संघी (एनजी) 2818/एनएसओ/एम/आरआर-264/डी (नियुक्ति)/2013]

दलपत सिंह, अवर सचिव

टिप्पणी: मूल नियम, भाग के राजपत्र, भाग 2, खंड 4, तारीख 3 जून, 2012 से 9 जून, 2012 में का.नि.आ. 44, तारीख 18 मई, 2013 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 10th December, 2013.

S.R.O. 81.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Navy) Group 'C' Industrial Posts, Naval Armament Supply Organisation (Ammunition Workshop) Recruitment Rules, 2012, namely:—

1. (1) These rules may be called the Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Navy) Group 'C' Industrial Posts, Naval Armament Supply Organisation (Ammunition Workshop) Amendment Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Navy) Group 'C' Industrial Posts, Naval Armament Supply Organisation (Ammunition Workshop) Recruitment Rules, 2012, against the post of Ammunition Mechanic-II at Serial 2, under Column 11, in the entry, for "Multi Tasking Staff (Ammunition) having three years' of regular service in the Grade Pay of Rs. 1800 and possessing qualifications as prescribed in Column 7 and who have passed in a departmental qualifying test", the following shall be substituted, namely:—

"Multi Tasking Staff (Ammunition) having three years' of regular service in the Grade Pay of Rs. 1800 and who have passed in a departmental qualifying test."

[F.No.CP(NG)2818/NASO/AM/RR/264/D(Appty)2013]]

DALPAT SINGH, Under Secy.

Notes:—The principal rules were published in the weekly Gazette of India, Part II, Section 4 dated 3<sup>rd</sup> June 2012 to 9<sup>th</sup> June, 2012 vide SRO 44 dated 18<sup>th</sup> May, 2012.

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2013

क्र.नि.आ. 82.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय (नौसेना), एकीकृत मुख्यालय समूह 'ग' (अनुसूचिक कर्मचारिवृत्त) पर भर्ती नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) समूह 'ग' (अनुसूचिक कर्मचारिवृत्त) पर भर्ती नियम, 2011 है।

(2) वे एम्बलर में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना) समूह 'ग' (अनुसूचिक कर्मचारिवृत्त) पर भर्ती नियम, 2011 की अनुसूची में:—

(1) स्तंभ-1 के अधीन पद के वर्गीकरण में कहाँ शब्द "मिडिलियन रक्षा सेवा" है, के स्थान पर शब्द "साधारण केंद्रीय सेवा" रखा जाएगा।

(2) क्रम संख्या 1 उच्च श्रेणी लिपिक पद के लिए (1) (2) के अधीन प्रविष्टि ऐसे कनिष्ठ श्रेणी लिपिक जो श्रेणी में आठ वर्षों की नियमित सेवा रखते हैं "25 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:—

"(2) 25 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से ऐसे कनिष्ठ श्रेणी लिपिक जो श्रेणी में पाँच वर्षों की नियमित सेवा रखते हैं।"

(3) स्तंभ 10 के अधीन क्रम संख्यांक 2 पर कनिष्ठ श्रेणी लिपिक, और क्रम संख्यांक 3 पर आशुलिपिक श्रेणी-1 पद के लिए शब्द "कर्मधारी चयन आयोग के माध्यम से" शब्द का हटा दिया जाएगा।

(4) स्तंभ 11 के अधीन क्रम संख्यांक 3 पर आशुलिपिक श्रेणी-11 पद के लिए प्रविष्टि "ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जो दस वर्षों की नियमित सेवा और स्तंभ 7 में पद्याविवरित आदेश रखते हैं" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:—

“ऐसे अन्य श्रेणी लिपिक जो कुछ वर्षों की नियमित सेवा और स्लॉप 7 में ब्यवस्थित अर्हताएं रखते हैं”।

[फा. नं. सीपी (एनवी) 2803/जीपी 'सी' आरकर/383/ए (नि.)/2013]

दलपत सिंह, अवर सचिव

दिखाया : मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 4, में अधिसूचना संख्यांक का.नि.आ. 80/2011 तारीख 13 दिसम्बर, 2011 को प्रकाशित किसे पृष्ठ 9 और उसी तिनातुसर प्रस्तावनों संशोधन किए गए।

New Delhi, the 10th December, 2013.

S.R.O. 82.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the President hereby makes the following rules further to amend the Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Navy) Group 'C' (Ministerial Staff) Posts Recruitment Rules, 2011, namely:-

1. (1) These rules may be called the Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Navy) Group 'C' (Ministerial Staff) Posts (Amendment) Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Navy) Group 'C' (Ministerial Staff) Posts Recruitment Rules, 2011:—

(1) against the classification of posts under Column 3, for the words “Civilians in Defence Services”, wherever they occur, the words “General Central Service” shall be substituted;

(2) against post of Upper Division Clerk at Serial 1, under Column 11 (2), in the entry, instead of “25% through Limited Departmental Competitive Examination of such Lower Division Clerks who have rendered eight years regular service in the grade”, the following shall be substituted:—

“(2) 35% through Limited Departmental Competitive Examination of such Lower Division Clerks who have rendered five years regular service in the grade.”

(3) against the posts of Lower Division Clerk at Serial 2, and Stenographer Grade-II at Serial 3, under Column 10, the words “through Staff Selection Commission” shall be deleted.

(4) against the post of Stenographer Grade-II at Serial 3, under Column 11, in the entry, instead of “Lower Division Clerks with ten years regular service possessing qualifications as prescribed in Column 7”, the following shall be substituted:—

“Lower Division Clerks with eight years regular service possessing qualifications as prescribed in Column 7.”

[फा. नं. CP(NG)2803/GP-C/RR/383/D (Appn)/2013]

DAI, PAT SINGH, Under Secy.

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India in Part II, Section 4 vide SRQ 80/2011 dated 13 December, 2011 and subsequently amended as under.

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2013

का.नि.आ. 83.—संघटन विभाग को अनुच्छेद 309 के प्रत्येक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और बीसेना (समूह 'ग' अनौद्योगिक पद, रॉडरगूड कर्मचारियों) भी नियम, 1984 को, जहाँ तक उसका संबंध पदों या सहायक पदों के पक्ष से है, उन पदों के सिवाय अधिकृत करने हुए, किन्हीं ऐसे अधिकरणों से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय (बीसेना) को एकीकृत मुख्यालय में समूह 'ग' अनौद्योगिक, रॉडरगूड कर्मचारियों के पदों पर भर्तियों को प्रदर्शित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम एकीकृत मुख्यालय में समूह 'ग' अनौद्योगिक, रॉडरगूड कर्मचारियों (बीसेना आनुषंग-आपूर्ति संगठन) पर भर्तियों नियम, 2013 है।

(2) ये संकाय में प्रकारानुसार की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में निर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएँ, आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो प्रत्येक अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में निर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—यह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से चिस्का पति या जिसको पत्नी बोलित है, विवाह किया है; या विवाह की सूचना की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी को जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की सूचना की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समझाना हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुत्पन्न है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस विधम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहाँ केंद्रीय सरकार को यह प्य है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह इसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखाबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी जगह या प्रभाग के व्यक्तियों को बाधत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आदेश, आयु-सीमा में छूट और अन्य शिथिलताओं पर प्रभाव नहीं डालेगा, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या                                                                        | वर्गीकरण                                          | वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान                  | चयन अथवा अधपत पद | संश्लेष भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)       | (2)                                                                                   | (3)                                               | (4)                                              | (5)              | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1. भंडारी | 86* (2013) मौसमी अनुबंध-आधारित सीमित* (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।) | समभरण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अग्रजाति, असीदीनिक | वेतन बैंड-1, 5200-70200 रु., ग्रेड वेतन 3400 रु. | अल्पम            | आयु 18 और 25 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सार्वकारी सेवाओं के लिए शिथिल करने योग्य वर्ष और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को दृष्टा में बीच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।<br>टिप्पणी: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्धारक तारीख भारत में आगराधियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (अंदरूनी और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप और तमिल रान्य क्षेत्र में निम्न) राजगार कार्यालयों के माध्यम से इन पदों को कार्यरत निम्न पर नियुक्ति को इस प्रत्येक मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्धारक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक राजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है। |

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों को पुराना में लागू होंगी, या नहीं।

परिक्षाओं की अवधि, यदि कोई हो।

| (7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (9)                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से शैक्षिक या रसायन या गणित विभाग के साथ विज्ञान में डिग्री साथ ही समतुल्य दादा तैरा मैनेजमेंट पर बुनियादी कम्प्यूटर का ज्ञान और किसी सरकारी विभाग या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या किसी फर्म में भंडार कार्य का एक वर्ष का अनुभव; या</p> <p>विज्ञान या वाणिज्य में 10 + 2 के साथ किसी सरकारी विभाग या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या किसी क्षयतिप्रान्त क्रमोपस्था में भंडार कार्य का पाँच वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>टिप्पणी :</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) उन कारणों के लिए जो लेखक द्वारा दिए गए नियुक्ति प्राधिकारों के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों-अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को पुराना में उच्च शिक्षित की जा सकती है जब जयन्त के किसी प्रकार परस्वाम प्राधिकारों को यह एव है कि उनके लिए आरक्षित स्थितियों को करने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p> | <p>लागू नहीं होता।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।</p> |
| <p><b>भर्ती की प्रणति :</b> भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पर्यटकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संविश्रुता।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति में के अंगिकां विनक्षे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |
| (10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
| <p>75 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसकी न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और शेषों के न हो सकने पर सीधे भर्ती द्वारा</p> <p>25 प्रतिशत स्थायीकरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधे भर्ती द्वारा।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>प्रोन्नति :</b> वेतन बैंड-1 : 3200-36200 रु. - ग्रेड सेल 1900 रु. के वेतनमान में ऐसे सहायक गैरकारी विभागों विभागों अर्हता परीक्षा के अध्ययन रखने हुए अठार वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p><b>टिप्पणी :</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में विभागों अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहाँ उनसे स्पष्ट व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इसमें से कोई भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों साहित्य विभागों ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति :</b> सदुपरा सदुपरा करने वाले ऐसे कनिष्ठ विभागों ग्रेड सेल 1900 रु. में एक श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की है या विभागों मूल कादर या विभागों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पाठ्यक्रम समरूप श्रेणी में सेवा की है और उनके प्रम. स्तर (7) में विनियमित अर्हताएँ हैं।</p> |                                                            |

5230 GI/13-2

(11)

टिप्पण : प्रतिनिधित्व को अवधि दोन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

स्वानंतरण : रक्षा सेवाओं को निम्नतर विरचनाओं में समरूप, समतुल्य या उच्चतर श्रेणियों से संवतरे ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्तर (7) में विनिर्दिष्ट अर्हताएँ हैं ।

यदि विभागों में प्रत्येक समिति है, तो प्रत्येक संरचना

प्रत्येक कले में जिन परिस्थितियों में सैन्य सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

(13)

लागू नहीं होता ।

1. संयुक्त निदेशक को पॉकेट का एक अधिकारी — अध्यक्ष
2. उप निदेशक को पॉकेट के दो अधिकारी, एक विभागीय और एक स्पर्तक — सदस्य

| (1)                 | (2)                                                                                   | (3)                                                     | (4)                                         | (5)            | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. महावक्ता प्रहारी | 152* (2013) नईसना आयुध-आपूर्ति संगठन * (काचदार के आकार पर परिवर्तन किया जा सकता है) । | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अग्रवर्गीय, अनौद्योगिक | चतन बीड-1, 5200-20200 रु. ग्रह वंश 1900 रु. | लागू नहीं होता | आयु 18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समस्त-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवाओं के लिए शिक्षण करने के दौरान वर्ष और अनु-सूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की दशा में पाँच वर्ष तक शिक्षण को जा सकता है ।<br><br>टिप्पण : आयु-सीमा अवधारणा करने के लिए निर्धारक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए दिया की गई अंतिम तारीख होगी (अदमान और निष्काचार द्वीप और संशोधन के संघ राज्य क्षेत्र से भिन्न) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से इन पदों की बाबत जिन पर नियुक्ति की दशा प्रत्येक मामले में आयु-सीमा अवधारणा करने के लिए निर्धारक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है । |

(7)

किसी प्रारंभिक/प्रारंभिक बोर्ड का समतुल्य से 10 + 2 या समतुल्य के साथ किसी सरकारी विभाग या पब्लिक

(8)

लागू नहीं होता

(9)

सोपे प्रती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए वो अर्थ ।

(7)

सेक्टर टुकटुक या किसी खास विभाग काम में बाँटकर काम से संबंधित सूची बनाने का राजा बर्तन अनुभव।

**टिप्पण :** अनुभव संघर्ष अर्थात् (अर्थात्) उन कार्यों के लिए जो संलग्न हैं, जो गुणवत्ता प्रधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों-अनुसूचित अजातियों के अधिकाधिक को दशा में सब स्थिति को या सकता है। जब वक्त को किसी प्रक्रम या सूक्ष्म प्रधिकारी को राई राय है कि उनके लिए आशित स्थितियों को भरने के लिए आशित अनुभव रखने वाले उन तत्त्वों के अधिकाधिक को महान्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(10)

25 प्रतिशत प्रेरित द्वारा जिसके न हो सकने पर बीधी नहीं द्वारा और  
75 प्रतिशत बीधी नहीं द्वारा।

(11)

**प्रेरित :** प्रोड केन 1800 रु. में ऐसे बहु कार्य कर्मचारित्व (अनीशोनिक) विनोने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जिसके पास विभागीय अर्थात् प्रोड में अर्थात् प्रोड करने के अध्यापन करते हुए भंडार कार्य में कम से कम सत्र साल का अनुभव हो।

**टिप्पण :** जहाँ ऐसे कर्मस्थ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्थात् या पावता सेवा पूरी कर ली है, प्रेरित के लिए विचार किया जा रहा है वहाँ उनसे उच्च व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह सब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्थात् या पावता सेवा, अर्थात् अर्थात् या पावता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कर्मस्थ व्यक्तियों लक्षित जिन्होंने ऐसी अर्थात् या पावता सेवा पहले की पूरी कर ली है, अपना उत्कृष्ट श्रेणी में प्रोड के लिए अपनी बर्तिका की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

(12)

समूह 'ग' विभागीय प्रेरित समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

1. संयुक्त निदेशक को चयन का एक अधिकारी — अध्यक्ष
2. उप निदेशक को चयन के दो अधिकारी, एक विभागीय और एक स्वतंत्र — सदस्य

(13)

जागू नहीं होता।

[क्र. सं. सोनी (एनबी) 2824/एसएसएस/एन ए एल ओ/आरओ/458/2013/र. (वि.)]

दलपत सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 11th December, 2013

S.R.O. 83.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India and in supersession of the Navy, (Group 'C' Non-Industrial, Stores House Staff) Recruitment Rules, 1984 in so far as they relate to the posts of Storekeeper and Assistant Storekeeper, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to these Group 'C' Non-Industrial, Store House Staff posts in Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Navy), namely:

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Integrated Headquarters Ministry of Defence (Navy) Group 'C', Store House Staff (Naval Armament Supply Organisation) posts Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, pay band and grade pay/scale of pay.**—The number of posts, their classification and pay band and grade pay/scale of pay attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the said schedule.

3. **Method of recruitment, age limit, other qualifications etc.**—Method of recruitment, age limit, qualifications other matters relating thereto shall be as specified in column (5) to (13) of the aforesaid schedule.

4. **Disqualification.**—No person;

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order, for reason to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

| Name of post    | Number of posts                                                                                  | Classification                                                   | Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale                | Whether selection post or non-selection post | Age limit for direct recruits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)             | (2)                                                                                              | (3)                                                              | (4)                                              | (5)                                          | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1. Store Keeper | 96* (2013)<br>Naval Armament supply Organisation<br>*Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Industrial. | Pay Band-I, Rs. 5200-20300<br>Grade Pay Rs. 2400 | Non-selection                                | Between 18 and 25 years of age (relaxable for Government servants upto thirty five years in accordance with the instructions issued by the Central Government from time to time and further relaxation for five years as in the case of Scheduled Castes/Scheduled Tribes).<br><br>Note : The crucial date for determining the age limit will, in each case, be the closing date for receipt of applications from candidate in India (other than those in the Union Territories of Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In respect of posts the appointments to |

(6)

which are made through the Employment Exchanges the crucial date for determining the age limit will, in each case, be the last date up to which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees

Period of probation, if any

(7)

(8)

(9)

Degree in Science with Physics or Chemistry or Mathematics from a recognized University with basic computer knowledge on database management with one year experience in stores work in Government department, or Public Sector Undertaking or in a reputed firm OR

Not applicable

Two years for direct recruits

10 +2 in Science or Commerce with five years experience in stores' work in a Government Department, Public Sector Undertaking or a reputed workshop.

Note : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Appointing Authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes. If at any stage of selection, the Appointing Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which the promotion or deputation or absorption to be made

(10)

(11)

75% by promotion failing which by deputation, failing both by direct recruitment, 25% by transfer failing which by direct recruitment.

Promotion : Assistant Storekeeper in the pay scale PB-I, Rs. 5200-20200 Grade Pay—Rs. 1900 with eight years regular service, subject to qualifying in departmental examination.

Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than

5230 92/13-3

(11)

half of such qualifying or eligibility service, or two years whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**Deputation :** Persons holding analogous posts with eight years service in the grade pay of Rs. 1900 or similar grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the parent cadre or department and having qualifications as specified in Column 7.

**Note :** The period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

**Transfer :** Persons serving in similar, equivalent or higher grades in the lower formations of Defence Services and having qualifications as specified in Column 7.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition:

Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(12)

(13)

Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:

Not applicable

1. Officer of the rank of Joint Director — Chairman
2. Two officers of the rank of Deputy Director, one departmental and one independent — Members

| (1)                       | (2)                                                                                              | (3)                                                             | (4)                                              | (5)            | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Assistant Store Keeper | 152*(2013)<br>Naval Armament supply Organisation<br>*Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Industrial | Pay Band-I, Rs. 5200-20200<br>Grade Pay Rs. 1900 | Not-applicable | Between 18 and 25 years of age (relaxable for Government servants upto thirty five years in accordance with the instructions issued by the Central Government from time to time and further relaxation for five years as in the case of Scheduled Castes/Scheduled Tribes).<br><br><b>Note :</b> The crucial date of determining the age limit will, in each case, be the closing date for receipt of applications from candidate in India (other than those in the Union Territories of Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In respect of posts the appointments to which are made through the Employment Exchanges the |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (6)                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | crucial date for determining the age limit will, in each case, be the last date up to which the Employment Exchanges are asked to submit the names. |
| (7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (9)                                                                                                                                                 |
| 10 + 2 or equivalent from a recognised Board or Equivalent, with one year experience in inventory related stores work in Government department or Public Undertaking or in a reputed firm.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Not applicable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Two years for direct recruits.                                                                                                                      |
| <p><b>Note :</b> The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Appointing Authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Appointing Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |
| (10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |
| 25% by promotion failing which by direct recruitment.<br>75% by direct recruitment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>Promotion :</b> Multi Tasking Staff (Non-Industrial) with Grade Pay of Rs. 1800 and possessing three years regular service in the grade with at least 6 months experience in stores work, subject to qualifying in departmental qualifying examination.</p> <p><b>Note :</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> |                                                                                                                                                     |
| (12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |
| Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:<br>1. Officer of the rank of Joint Director: — Chairman<br>2. Two officers of the rank of Deputy Director, one departmental and one independent — Members                                                                                                                                                                                                                                         | Not applicable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |

[F No. CP(NG)/2824/SHS/NASD/RR/453/2013/EX(Appts)]

DALPAT SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2013

**का.नि.सं. 84.—राष्ट्रपति**, संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत एक प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नौसेना प्रशासनिक अधिकारी समूह 'क' और समूह 'ख' पर शर्तें नियम, 2003 को, अधिक्रान्त करते हुए, रक्षा मंत्रालय, नौसेना प्रशासनिक अधिकारी के पद पर शर्तों की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **नौसेना नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, नौसेना, प्रशासनिक अधिकारी (समूह 'क' और समूह 'ख') पर शर्तें नियम, 2013 है।

(2) ये नियमों में वर्णित प्रकारों को लागू करने के लिए होंगे।

2. **लागू होना :** ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में निर्दिष्ट पद पर लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद को संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान, वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में निर्दिष्ट है।

4. **शर्तों की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर शर्तों की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में निर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्त का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य अधिकार को लागू नहीं किया के अधीन अनुसूच है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—यहां केंद्रीय सरकार को यह शक्ति है कि ऐसा कर्ता आवश्यक या समुचित है, यहाँ वह इससे लिए जो कारण है, उन्हें संशुद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या वर्गों के व्यक्तियों को बाधित, अपेक्षा द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्याप्ति.**—इन नियमों की कोई बात, जैसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समान समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य विशेष प्रकार के व्यक्तियों के लिए उपबंध करने अनेकित है।

#### अनुसूची

| पद का नाम                                                                      | पद की संख्या                                                  | वर्गीकरण                                            | वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान                                                                                               | वयन पद है अथवा अवयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| (1)                                                                            | (2)                                                           | (3)                                                 | (4)                                                                                                                              | (5)                    | (6)                                                 |
| 1. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी                                                     | 04* (2013) 1 (कार्यारंभ के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।) | साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसूचित | वेतन बैंड-3, 15600—39100 रुपये। ग्रेड वेतन 7600 रुपये                                                                            | वयन                    | लागू नहीं होता                                      |
| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं: |                                                               |                                                     | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की द्वारा में लागू होंगी के शर्तें |                        |                                                     |
| (7)                                                                            |                                                               |                                                     | (8)                                                                                                                              |                        |                                                     |
| लागू नहीं होता                                                                 |                                                               |                                                     | लागू नहीं होता                                                                                                                   |                        |                                                     |
|                                                                                |                                                               |                                                     | (9)                                                                                                                              |                        |                                                     |
|                                                                                |                                                               |                                                     | प्रोन्नति द्वारा                                                                                                                 |                        |                                                     |

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तहसीलों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(10)

(11)

प्रोन्नति द्वारा ।

प्रोन्नति :

ऐसे विशेष प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने वेतन बैंड-3 में, 15600-19100 - ग्रेड वेतन 6600 रु. में निर्धारित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो।

**टिप्पण 1 :** वहाँ ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों के संबंध में, जिन्होंने अपने अर्हक मात्रा सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक मात्रा सेवा, अपेक्षित अर्हक मात्रा सेवा से आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से कोई भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक मात्रा सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उपलब्ध श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवर्तना की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

**टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से, जिससे इसे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षण वेतन संगणना का विस्तार किया गया है, निर्धारित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित सम्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमूल पर की गई सेवा समझा जाएगा।

सर्व विभागीय प्रोन्नति समिति है, जो उसकी संरचना

पदों करने में किन परिस्थितियों में सेवा लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

(13)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में)

संप. लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

1. अध्यक्ष या सदस्य, संप. लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष

2. संयुक्त सचिव (नौकरा) या सहायक सचिव (नौकरा) रक्षा मंत्रालय —सदस्य

3. सहायक वार्मिक प्रमुख (सिविलियन) या उप-प्रधान निदेशक (सिविलियन) या प्रधान निदेशक सिविलियन वार्मिक या निदेशक वार्मिक सिविलियन, एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौकरा) —सदस्य

| (1)                          | (2)                                                            | (3)                                                          | (4)                                                    | (5) | (6)           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---------------|
| 2. नरेश्वर प्रशासनिक अधिकारी | 09* (2013) * (कार्यवाही के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है।) | साक्षरता के क्षेत्र सेवा, समूह 'क', पुरुष/नारी अनुसूचित जाति | वेतन बैंड-3, 15600-39100 रुपये - ग्रेड वेतन 6600 रुपये | चयन | साथ नहीं होता |

5230 GI/13-4

| (7)            | (8)            | (9)                                  |
|----------------|----------------|--------------------------------------|
| लागू नहीं होगा | लागू नहीं होगा | ज्ञानत किए गए व्यक्ति के लिए दो वर्ष |
| (10)           | (11)           |                                      |

(क) 66.67 अंशगत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकते  
हैं प्रतिनिधित्व द्वारा ।

(ख) 33.33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व द्वारा ।

#### प्रोन्नति :

ऐसे प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी 1 जिन्होंने वेतन बैंड-2, 9300-34800 + ग्रेड वेतन 4800 रु. में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उसी श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की है ।

**टिप्पण 1 :** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके स्वयं कर्मियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम से हो और जहाँ अपनी ऐसी कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली दत्तव्य श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा को अवधि तकलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

**टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरोक्त वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित सम्बन्धी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा सम्मिली जाएगी ।

**प्रतिनिधित्व :** केंद्रीय सरकार को अर्थात् ऐसे अधिकारों -

(क) (i) जो मूल कांडर या विभाग में नियमित आधार पर कटुता पर धारण किये हुए हैं ; या

(ii) जिन्होंने मूल कांडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रुपा + ग्रेड वेतन 4800 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की हो ; और

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :-

**आवश्यक :**

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री ;

(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से कॉमिक प्रबंधन या मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा ;

(iii) प्रशासन और इकायन मामलों में पाँच वर्ष का अनुभव ।

(रोषक इवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारों को प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनिधित्व पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनिधित्व व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।)

(प्रतिनिधित्व को अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर का कार्य पर प्रतिनिधित्व की अवधि में स्थापना/समाप्ति वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनिधित्व पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)

(11)

**टिप्पण :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या तब तक दोषी से जिसमें छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्गठित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित दायित्वों के वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

(12)

(13)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में)

सबसे लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1. अध्यक्ष या सदस्य, लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव (नियंत्रण) या संयुक्त सचिव (स्थानांतरण) राजा मंत्रालय —सदस्य
3. प्रधान निदेशक सिविलियन कार्मिक या निदेशक सिविलियन कार्मिक एकीकृत मुख्यालय, राजा मंत्रालय (नियंत्रण) —सदस्य

| (1)                           | (2)                                                       | (3)                                                  | (4)                                                  | (5) | (6)           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|---------------|
| 3. प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-1 | 02* (2013) * (अवधीत के आदेश पर परिवर्तन किया जा सकता है।) | साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित अनुसूचिकीय | वेतन बैंड-2, 9300— 34800 टावर + ग्रेड वेतन 4800 टावर | लघु | लघु नहीं होता |

| (7)           | (8)           | (9)           |
|---------------|---------------|---------------|
| लघु नहीं होता | लघु नहीं होता | लघु नहीं होता |

(10)

(11)

प्रोन्नति द्वारा

**प्रोन्नति :** ऐसे प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-3 जिन्होंने वेतन बैंड-2, 9300-34800 के ग्रेड वेतन 4600 रु. में नियमित आधार पर नियुक्ति के तुरंत उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की है।

**टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, जहां उनके कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु उस तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले की पूरी कर ली है, अपनी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवर्द्धा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(11)

टिप्पण 2 : प्रोत्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा को सौंपना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे कोटिज वेतन आयोग को सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, निगमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग को सिफारिशों पर आधारित विस्तारित उत्तराधिकारी वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

(12)

समूह 'ख' विभागीय प्रोत्ति संहिता (प्रोत्ति के संबंध में विचार के लिए)

1. सहायक प्रमुख, कार्मिक (सिविलियन) या प्रेष प्रधान निदेशक, सिविलियन, एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसैन्य) —अध्यक्ष
2. प्रधान निदेशक, सिविलियन कार्मिक या निदेशक सिविलियन कार्मिक एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसैन्य) —अध्यक्ष
3. संयुक्त निदेशक या उप-निदेशक सिविलियन कार्मिक एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसैन्य) —सदस्य
4. अन्य अधिकारी (निपुण) रक्षा मंत्रालय —सदस्य

(13)

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

| (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (2)                                                               | (3)                                                   | (4)                                             | (5) | (6)                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. प्रशासनिक 484(2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | अधिकारी 1 (कार्यवाही के अंगी-2 आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।) | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', तात्कालिक अनुसूचिकीय | वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. ग्रेड वेतन 4600 रु. | चयन | 10 वर्ष से अधिक नहीं।<br>(सरकार द्वारा समक-समय पर जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) |
| <p>टिप्पण 3 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आबंटन प्राप्त करने के लिए निश्चय की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख को अरुम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के सदराख खंड, हिमाचल प्रदेश के लडाख और स्पॉन्गि जिले तथा जम्मू-जिले के पांगो उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के अध्याक्षियों के लिए ब्रिटिश की गई है।)</p> |                                                                   |                                                       |                                                 |     |                                                                                                                                                 |

| (7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (8)  | (9)                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|
| <p><b>आवश्यकता :</b> (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री ;</p> <p>(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कांसिक प्रबंधन या वास्तव संस्थापन उर्ध्वतन में स्नातकोत्तर डिग्रीमा ;</p> <p><b>टिप्पण :</b> अर्हताएं, कतन्मा कुलसंहित अध्यायियों की तरा में उन जायतों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संक्षम प्राधिकारों के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं ।</p> <p><b>वांछनीय :</b></p> <p>उत्तकरोतिका निर्देशालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय या संस्था में शिथिलित स्तर 'C' डिप्लोमा</p> | नहीं | सोभीकती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष |

| (10)                                                                           | (11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(क) 75 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा</p> <p>(ख) 35 प्रतिशत सोधी भर्ती द्वारा</p> | <p><b>प्रोन्नति :</b></p> <p>ऐसे कार्यलय अधीक्षक (मिथय उनके को नौसेना आयुध युधि सौजन में कार्यरत हैं) बिल्लोने वेतन बैंड-2, 9300-34900 रु. कुल्ले वेतन 4200 रु. में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा को हू ।</p> <p><b>टिप्पण 1 :</b> इन नियमों के प्रकाशन को तारीख को तोकक प्रवर्तन को ऐसे व्यक्ति जो नियमित आधार पर पद धारण किए हुए हैं क्कको उर्धक सेवा तीन वर्ष की होगी ।</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> वहाँ ऐसे कतिपय व्यक्तियों के संबंध में, किन्होंने अपने उर्धक पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनके न्बोध व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब बबबित उनके द्धता को गई ऐसे उर्धक/पात्रता सेवा, अपेक्षित कर्हक/पात्रता सेवा के साथ से अधिक से या दो वर्ष, इन्हें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कतिपय व्यक्तियों को हू, किन्होंने ऐसे उर्धक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवर्धता की अवधि साफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।</p> <p><b>टिप्पण 3 :</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम उर्धक सेवा को संगणना के प्रयोग के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से, जिससे उन्हें केन्द्रीय वेतन श्रेणी की सिफारिशों पर आधारित पुनर्धित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को विचार उस दशत को, वहाँ एक से अधिक पूर्व-पुनर्धित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विस्तार हो गया है, और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर जिनके लिए ग्रेड वेतन बिना किसी उन्नयन के साधारण अवस्थापन ग्रेड है विस्तारित होगा वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्कालीन ग्रेड वेतन या वेतनमान पर को गई सेवा समझी जाएगी ।</p> |

5230 GI/13-5

(13)

(13)

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति/पुष्टि के संबंध में विचार के लिए) :

सब लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

1. सहायक जम्बू, कार्मिक (सिविलियन) या ज्येष्ठ प्रधान निदेशक सिविलियन एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना) — अध्यक्ष
2. प्रधान निदेशक, सिविलियन कार्मिक या निदेशक सिविलियन कार्मिक — सदस्य
3. संयुक्त निदेशक या वन निदेशक सिविलियन कार्मिक — सदस्य
4. अवर सचिव/डी. (नियुक्ति) रक्षा मंत्रालय — सदस्य

[क्र. सं. सीपी(डी)/24(0/ए ओ (अर)/402/डी(नियुक्ति)/2013]

दत्तपत सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 12th December, 2013

**S.R.O. 84.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Defence, Navy, Administrative Officers (Group 'A' and Group 'B') Posts Recruitment Rules, 2005, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Administrative Officers in the Ministry of Defence, Navy, namely:—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Navy, Administrative Officers (Group 'A' and Group 'B') posts Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.**—The number of said posts, their classification, pay band and grade or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

**4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

**5. Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall not be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**6. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**7. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

| Name of post                    | Number of posts                                            | Classification                                            | Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale                      | Whether selection post or non-selection post | Age limit for direct recruits |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| (1)                             | (2)                                                        | (3)                                                       | (4)                                                    | (5)                                          | (6)                           |
| I. Chief Administrative Officer | 04* (2013)<br>*Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial | Pay Band-3, Rs. 15600—39100 with Grade Pay of Rs. 7600 | Selection                                    | Not applicable                |

| Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| (7)                                                               | (8)                                                                                                           | (9)                         |
| Not applicable                                                    | Not applicable                                                                                                | Not applicable              |

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which the promotion or deputation or absorption to be made

| (10)         | (11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| By promotion | <p><b>Promotion :</b></p> <p>Senior Administrative Officer in the Pay Band 3 of Rs. 15600—39100 with grade pay of Rs. 7600 with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis.</p> <p><b>Note 1 :</b> Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p><b>Note 2 :</b> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.</p> |

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition? Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

| (12)                                                                                                                                                                                                                    | (13)                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Group 'A' Departmental Promotion Committee</b><br>(for promotion) :—                                                                                                                                                 | Consultation with the Union Public Service Commission not necessary. |
| 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission. —Chairman                                                                                                                                                          |                                                                      |
| 2. Joint Secretary (Navy)/Joint Secretary (Establishment), Ministry of Defence. —Member                                                                                                                                 |                                                                      |
| 3. Assistant Chief of Personnel (Civilians)/Senior Principal Director (Civilians)/Principal Director of Civilian Personnel/Director of Civilian Personnel, Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Navy). —Member |                                                                      |

| (1)                              | (2)                                                     | (3)                                                         | (4)                                                    | (5)       | (6)                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| 2. Senior Administrative Officer | 99* (30/3) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Services, Group 'A', Gazetted, Ministerial. | Pay Band-3, Rs. 15600—39100 with Grade Pay of Rs. 6600 | Selection | Not applicable          |
|                                  | (7)                                                     |                                                             | (8)                                                    |           | (9)                     |
|                                  | Not applicable                                          |                                                             | Not applicable                                         |           | Two years for promotees |
|                                  | (10)                                                    |                                                             |                                                        | (11)      |                         |

- (a) 66.67% per cent by promotion falling which by deputation ;  
(b) 33.33% by deputation

**Promotion :**

Administrative Officer Grade-I in the Pay Band 2 of Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4800 with six years regular in the grade rendered after appointment thereto on regular basis.

**Note 1 :** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

**Note 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

(11)

**Deputation : Officers of the Central Government :-**

(A) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department ; or

(ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the Pay Band 2 of Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4800 or equivalent in the parent cadre/department ; and

(B) Possessing the following educational qualifications and experience:

**Essential :**

(i) Degree of a recognized University ;

(ii) Post Graduate Diploma in Personnel Management or Human Resource Management from a recognized University or Institution ;

(iii) five years experience in administration and establishment matters.

The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years, as on the closing date of the receipt of applications).

**Note :** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006. (The date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)

**Group 'A' Departmental Promotion Committee**  
(for promotion) :-

1. Chairman/Member, Union Public  
Service Commission

—Chairman

(13)

Consultation with Union Public Service Commission  
necessary

5230 GI/13-6

|                                                                                                                                       |                                                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| (12)                                                                                                                                  |                                                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |
| 2. Joint Secretary (Navy)/Joint Secretary (Establishment), Ministry of Defence                                                        |                                                         | —Member                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |
| 3. Principal Director of Civilian Personnel/Director of Civilian Personnel, Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Navy)       |                                                         | —Member                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |
| (1)                                                                                                                                   | (2)                                                     | (3)                                                        | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (5)            | (6)            |
| 3. Administrative Officer Grade-I                                                                                                     | 07* (2013) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Services, Group 'B', Gazetted, Ministerial | Pay Band-2, Rs. 9300—34800 Grade Pay of Rs. 4800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Selection      | Not applicable |
| (7)                                                                                                                                   |                                                         | (8)                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (9)            |                |
| Not applicable                                                                                                                        |                                                         | Not applicable                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Not applicable |                |
| (10)                                                                                                                                  |                                                         |                                                            | (11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                |
| By promotion                                                                                                                          |                                                         |                                                            | <p><b>Promotion :</b><br/>Administrative Officer Grade II in the Pay Band-2 of Rs. 9300—34800 with grade pay of Rs. 4600 with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis.</p> <p><b>Note 1 :</b> Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p><b>Note 2 :</b> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.</p> |                |                |
| (12)                                                                                                                                  |                                                         |                                                            | (13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                |
| Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :—                                                             |                                                         |                                                            | Consultation with Union Public Service Commission not necessary.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                |
| 1. Assistant Chief of Personnel (Civilians)/Senior Principal Director (Civilians) Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Navy) |                                                         | —Chairman                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |

(12)

- |                                                                                                                                 |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2. Principal Director of Civilian Personnel/Director of Civilian Personnel, Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Navy) | —Member |
| 3. Joint Director/Deputy Director of Civilian Personnel, Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Navy)                    | —Member |
| 4. Under Secretary/D (Appointments), Ministry of Defence                                                                        | —Member |

| (1)                                | (2)                                                        | (3)                                                        | (4)                                                 | (5)       |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 4. Administrative Officer Grade-II | 48* (2013)<br>*Subject to variation dependent on workload. | General Central Services, Group 'B', Gazetted, Ministerial | Pay Band-2, Rs. 9300—34800<br>Grade Pay of Rs. 4600 | Selection |

Not exceeding 30 years.  
(Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Divisions of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

| (7)                                                                                                                                                                               | (8) | (9)                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|
| <b>Essential :</b>                                                                                                                                                                | No  | Two years for direct recruits |
| (i) Degree of a recognized University ;                                                                                                                                           |     |                               |
| (ii) Post Graduate Diploma in Personnel Management or Human Resource Management from a recognized University or Institution :                                                     |     |                               |
| <b>Note 1.</b> —Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. |     |                               |
| <b>Desirable :</b>                                                                                                                                                                |     |                               |
| 'O' level Diploma from Directorate of Electronics Accredited Computer Course or any other recognized University or Institution.                                                   |     |                               |

(10)

- (a) Seventy five per cent by promotion ;  
 (b) Twenty five per cent by direct recruitment

(11)

**Promotion:**

Office Superintendent (other than those working in the Naval Armament Supply Organisation) in the Pay Band 2 of Rs. 9300–34800 with grade pay of Rs. 4200 with five years regular in the grade rendered after appointment thereto on regular basis.

**Note 1 :** The eligibility service shall continue to be three years for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of these rules.

**Note 2 :** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

**Note 3 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.

**Group 'B' Departmental Promotion Committee  
 ( for considering promotion/confirmation ) :—**

- |                                                                                                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Assistant Chief of Personnel<br>(Civilians)/Senior Principal<br>Director (Civilians) Integrated<br>Headquarters, Ministry of<br>Defence (Navy) | —Chairman |
| 2. Principal Director of Civilian<br>Personnel/Director of Civilian<br>Personnel, Integrated Headquarters,<br>Ministry of Defence (Navy)          | —Member   |
| 3. Joint Director/Deputy Director<br>of Civilian Personnel,<br>Integrated Headquarters,<br>Ministry of Defence (Navy)                             | —Member   |
| 4. Under Secretary/D (Appointments),<br>Ministry of Defence                                                                                       | —Member   |

Consultation with Union Public Service Commission  
 not necessary.

[F. No. CP(G)2410/AO (RR)/402/D (Appns)/2013]  
 DAI, PAT SINGH, Under Secy.